

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गरुड़-बिनखोली से कोठो मोटर मार्ग।

कार्यालय उप जिलाधिकारी- गरुड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, गरुड़

उपखण्ड गरुड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठो मोटर मार्ग ( 0.10 हे० आरक्षित वन, भूमि 0.54 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे०, वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.54 हे० वन भूमि ) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गरुड़) की दिनांक 21.1.2015 ग्राम्य विकास विभाग को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किंचाराम चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |   |                       |                           |            |
|---|-----------------------|---------------------------|------------|
| 1 | श्री किंचाराम चौहान   | उपजिलाधिकारी              | अध्यक्ष    |
| 2 | श्री एस०एन० त्रिपाठी  | उप प्रभागीय वनाधिकारी     | सदस्य      |
| 3 | श्री राजेन्द्र प्रसाद | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4 | दीपक कुमार            | क्षेत्र पंचायत सदस्य      | सदस्य      |

*(Handwritten signatures and stamps)*  
 21.1.2015  
 क्षेत्र पंचायत बागेश्वर

क्षेत्र पंचायत कोरसो वि. ख. गरुड़

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में हस्ताक्षर उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठो मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.462 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करने हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गरुड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठो मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.462 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील-.....  
 जनपद.....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*(Handwritten signature)*  
 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील-.....  
 जनपद.....

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गरुड़-बिनखोली से कोठो मोटर मार्ग।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-कोठों

तहसील-गरुड़, जिला-बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.54 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत, नक्ष भूमि 1.800 हे०) अर्थात् कुल 0.54 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोठों द्वारा दिनांक 10/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोठों, रामपुर, पुरड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत कोठों  
ग्राम सचिव  
रामपुर  
महुर सहित

ग्राम प्रधान / सरपंच

मुहर सहित

अज्ञावती देवी

ग्राम पंचायत कोठों (रामपुर)  
जि० म० गरुड़ (बागेश्वर)

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No---

Dated--18.2.2015


TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that ~~0.54~~ hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Gramya Vikash Vibhag for Constrction of **Garur-Binkholi Motor Road to Kothon Motor Road** in Bageshwar district falls within jurisdiction of tehsils Garur in Bageshwar District.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.340** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 to 30.4 annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

  
(Bhupal Singh Manral)  
District Collector


**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT-BAGESHWAR (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr Bhupal Singh Manral I.A.S District Collector on dated 18.2.2015 at time 1:00 PM at Bageshwar in which application claiming rights in Civil Soyam forest area measuring 0.54 hect for the construction of Garur-Binkholi Motor Road to Kothon Motor Road forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Garur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- Bageshwar  
Dated 18.2.2015

  
Bhupal Singh Manral  
District Collector  
District Level Committe

दिनांक 10-12-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कोठी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विल नाथ	विल नाथ
2	मंजू देवी	मंजू देवी
3	विश्वनाथ	विश्वनाथ
4	हिमा नाथ	हिमा नाथ
5	इम नाथ	इम नाथ
6	रघु नाथ	रघु नाथ
7	गोविन्द नाथ	गोविन्द नाथ
8	प्रकाश नाथ	गोपकाश Goswami
9	गोपाल नाथ	गोपाल नाथ
10	इंद्र नाथ नारायण नाथ	नारायण नाथ
11	इंद नाथ	इंद नाथ
12	केशव नाथ	केशव नाथ
13	शिव नाथ	शिव नाथ
14	शम नाथ	शम नाथ
15	लक्ष नाथ	लक्ष नाथ
16	पन नाथ	पन नाथ
17	पद नाथ	पद नाथ
18	विश्व नाथ	विश्व नाथ
19	दध नाथ	दध नाथ
20	बच्च नाथ	बच्च नाथ
21	गोपाल नाथ	गोपाल नाथ
22	नरली देवी	नरली देवी
23	पार्वती देवी	पार्वती देवी
24	सुरली देवी	सुरली देवी
25	मिता देवी	मिता देवी
26	शिव नाथ	शिव नाथ
27	भारती देवी	भारती देवी
28	नर नाथ	नर नाथ
29	कलावती देवी	कलावती देवी
30	जमना देवी	जमना देवी
31	लक्ष्मा देवी	लक्ष्मा देवी

ग्राम प्रधान

अज्ञावती देवी

प्रधान

ग्राम पंचायत कोठी (रामपुर)

पिन 230 नरनाथ (बाराबंकर)

समस्त ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

		हस्ताक्षर
32.	मोहन नाथ	मोहन नाथ
33.	वशन्ती देवी	वशन्ती देवी
34.	उमा देवी	उमा देवी
35.	द्विरा नाथ	द्विरा नाथ
36.	बिमला देवी	बिमला देवी
37.	पूरन नाथ	पूरन नाथ
38.	वद्री नाथ	वद्री नाथ
39.	गंगा देवी	गंगा देवी
40.	द्विरा देवी	द्विरा देवी
41.	नीमा देवी	नीमा देवी
42.	लक्ष्मा देवी	लक्ष्मा देवी
43.	विरान नाथ	विरान नाथ
44.	वंशी नाथ	वंशी नाथ
45.	मंगल नाथ	मंगल नाथ
46.	द्विरा देवी	द्विरा देवी
47.	पन नाथ	पन नाथ
48.	अमर नाथ	अमर नाथ
49.	मधेश नाथ	मधेश नाथ
50.	राजेन्द्र नाथ	राजेन्द्र नाथ
51.	केशव्या देवी	केशव्या देवी
52.	नारायण	नारायण नाथ
53.	मोहनी देवी	मोहनी देवी
54.	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
55.	चन्द्र नाथ	चन्द्र नाथ
56.	शिवमुली देवी	शिवमुली देवी
57.	किशन नाथ	किशन नाथ
58.	देव नाथ	
59.	मदन गिरी	
60.		

केशवती देवी

ग्राम पंचायत कार्यालय (राजपुर)  
दिनांक 10/07/2023 (आनेकवार)

DM  
[Signature]